संख्या- 158 /2025/ 1018/चार-2025-1912442

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5842/सं0नि0-15(47)/2024-25, दिनांक 15 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा लागू किये गये कानूनों का वृहद प्रचार-प्रसार हेतु विशेष अभियान तहत देवी मन्दिरों/शक्तिपीठों में स्थानीय लोक कलाकारों/भजन मण्डलियों/ कीर्तन मण्डलियों द्वारा मॉ दुर्गा के सभी रूपों से सम्बन्धित भजन/कीर्तन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जिलों में कराये गये, जिससे सम्बन्धित बीजक भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0	दिनांक	जिला/स्थान	कलाकार	मानदेय
1	10.10.2024	बलिया, दुर्गा मंदिर, ग्राम-डेहरी	श्री अमरनाथ सिंह, बलिया	15,000.00
2	11.10.2024		श्री अमरनाथ सिंह, बलिया	15,000.00
3	10.10.2024	बलिया, मंदिर पंडाल ग्राम पखनपुरा बलिया	श्री अरविन्द कुमार यादव, बहादुरपुर कारी	15,000.00
4	11.10.2024	बलिया, मंदिर पंडाल ग्राम सिकरिया खुर्द बलिया	श्री अरविन्द कुमार यादव, बहादुरपुर कारी	15,000.00
5	10.10.2024	प्रभारी, क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज।	मे0 ए0आर0 टेडर्स, अल्लापुर, प्रयागराज।	11,361.00
6	11.10.2024 से 12.10.2024		मे0 ए0आर0 टेडर्स, प्रयागराज।	11,267.00
7	11.10.2024 से 12.10.2024		सुश्री प्रतिमा मिश्रा, प्रयागराज	5,000.00
8	10.10.2024	संस्कृति निदेशाल, उ0प्र0	मै0 अरोरा डेकोरेर्टस, लखनऊ	3,32,167.00
9	10.10.2024	मॉ पाटेश्वरी मंदिर, देवीपाटन,	मै0 रूद्रान्श इन्टरप्राइजेज,	26,715.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

		तुलसीपुर, बलरामपुर। शीतला माता मंदिर, मैनपुरी।	लखनऊ	
10		मॉ वैष्णों देवी मंदिर, फिराजाबाद। मां काली माता मंदिर, झांसी। मां कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, वृन्दावन, मथुरा। अलोपी देवी शक्तिपीठ मंदिर, प्रयागराज। मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मंदिर, वियांचल, मिर्जापुर। नैमिषारण्य प्रभा स्थली नैमिषधाम, सीतापुर। गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर। शीतला चौकियाधाम, जौनपुर। देवबंद मां त्रिपुर बाला सुन्दरी शक्तिपीठ, सहारनपुर। कडाधाम, फतेहपुर। दुर्गा मंदिर वाराणसी। बडी देव काली मंदिर, अयोध्या। खत्री पहाड विन्यवासिनी मंदिर, बांदा। रामगिरि शक्तिपीठ, चित्रकूट।		26,715.00
11			मै0 स्पेश मीडिया नेटवर्क, लखनऊ	15,000.00
कुल रूपये चार लाख अठ्ठासी हजार दो सौ पच्चीस				**4,88,225.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 03 से 12 अक्टूबर, 2024 की अवधि में उत्तर प्रदेश के देवी मन्दिरों/शक्तिपीठों में स्थानीय कलाकारों/भजन मण्डलियों/ कीर्तन मण्डलियों द्वारा मॉ दुर्गा के सभी रूपों से सम्बन्धित भजन/कीर्तन कार्यक्रम में व्यय धनराशि **रूपये 4,88,225.00 (रूपये चार लाख अट्ठासी हजार दो सौ पच्चीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध :-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 25-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024-25-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 158 /2025/ 1018 (1)/ चार-2025-1912442, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।